


18.08.25

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष की बयान पर प्रश्न करने लगे पत्रावली का अपलोकन करने पर वादी का वाद स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर संलग्न किया गया। पत्रावली बाद तरीक तकमील होकर दाखिल इफ्तार हो।

निर्णय लिखा जाकर बुले न्यायालय में सुनाया गया।


(सुनीलकुमार चौहान)
R.A.S.